झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि–02.05.2023

विज्ञापन संख्या–03 / 2023

गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक (नियमित) नियुक्ति परीक्षा।

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–1397(3), पत्रांक–1398(3), पत्रांक–1399(3), पत्रांक–1400(3), पत्रांक–1401(3), पत्रांक–1402(3), पत्रांक–1403(3), पत्रांक–1404(3), पत्रांक–1405(3), पत्रांक–1406(3), दिनांक–14.11.2022, पत्रांक–1396(3), दिनांक–14.11.2022, पत्रांक–37(3), दिनांक–10.01.2023 एवं पत्रांक–36(3), दिनांक–10.01.2023 के द्वारा झारखण्ड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सकों के विभिन्न पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित–प्रपत्र में **Online** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

1. **(i) पद का नाम– गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक**

   (ii) विभाग द्वारा अधियाचित कोटिवार रिक्त पदों की संख्या निम्नवत् है :–

क्र० सं०	विभाग / पद का नाम	कुल पद	आरक्षण कोटिवार रिक्तियाँ						क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण						
												दिव्यांग			
↓	**गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक**	↓	अनारक्षित	अ०ज०जा०	अ०जा०	अ०पि०व० (अनु०–I)	पि०व० (अनु०–II)	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग **(EWS)**	आदिम जनजाति	महिला	खेल कूद	दृष्टि निःशक्तता (क)	श्रवण निःशक्तता (ख)	चलन निःशक्तता (ग)	(घ) स्वलीनता **(Autism)**, बौद्धिक निःशक्तता, सीखने की विशेष अक्षमता एवं मानसिक रोगी, और, या (ड़) बहु निःशक्तता **(Multiple disabilities)** जो (क) से (घ) के बीच में निःशक्तता के विभिन्न से स्थितियों के मिलने से हो, यह स्थिति अंधापन एवं बहरापन के मिलने से आ सकता है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	चर्म रोग (Dermatologist)	16	07	04	02	01	01	01	–	01	–	–	–	01	–
2.	पैथोलॉजिस्ट (Pathologist)	06	03	03	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.	फिजिशियन (Physician)	236	95	60	24	20	14	23	01	12	05	–	–	09	–
4.	रेडियोलॉजिस्ट (Radiologist)	28	12	08	03	02	01	02		01	01	–	–	01	–
5.	कान, नाक एवं गला रोग (ENT)	12	05	04	01	01	–	01	–	01	–	–	–	–	–
6.	शिशु रोग (Pediatrician)	234	94	61	23	19	14	23	01	12	05	–	–	09	–
7.	सर्जन (Surgeon)	42	17	11	04	04	02	04		02	01	–	–	02	–
8.	मनोचिकित्सक (Psychiatrist)	08	04	02	01	01	–	–	–	–	–	–	–		–
9.	निश्चेतक (Anaesthesia)	80	32	22	07	06	05	08	–	04	02	–	–	03	–
10.	स्त्री रोग विशेषज्ञ (Gynecologist)	36	15	09	04	03	02	03	–	02	01	–	–	01	–
11.	नेत्र रोग विशेषज्ञ (Ophthalmologist	25	11	06	02	02	02	02	–	01	01	–	–	01	–
12.	अस्थि रोग (Orthopedic)	28	12	07	03	02	02	02	–	01	–	–	–	01	–
13.	फॉरेन्सिक एक्सपर्ट (Forensic Expert)	20	09	05	02	02	01	01	–	01	–	–	–	01	–
	कुल	771	316	202	76	63	44	70	02	38	16	–	–	29	–

(नोट :– कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है)।

2. वेतनमान – PB-II, रू0–9,300-34800 (Grade Pay – 5400+4 extra increment for P.G. Degree holders & 3 extra increment for P.G. Diploma holder)

3. पद – स्थायी

4. परीक्ष्यमान अवधि – 2 (दो) वर्ष

5. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता/अर्हता:–

क्र0 सं0	पद का नाम	शैक्षणिक योग्यता/अर्हता
1	चर्म रोग **(Dermatologist)**	भारतीय चिकित्सा पर्षद से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा–एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा–एम0सी0एच0,डी0एम0 की डिग्री तथा चिकित्सक के रूप में निबंधित होना आवश्यक है।
2	पैथोलॉजिस्ट **(Pathologist)**	
3	फिजिशियन **(Physician)**	
4	रेडियोलॉजिस्ट **(Radiologist)**	
5	कान, नाक एवं गला रोग **(ENT)**	
6	शिशु रोग **(Pediatrician)**	
7	सर्जन **(Surgeon)**	
8	मनोचिकित्सक **(Psychiatrist)**	
9	निश्चेतक **(Anaesthesia)**	
10	स्त्री रोग विशेषज्ञ **(Gynecologist)**	
11	नेत्र रोग विशेषज्ञ **(Ophthalmologist)**	
12	अस्थि रोग **(Orthopedic)**	
13	फॉरेन्सिक एक्सपर्ट **(Forensic Expert)**	

6. **उम्र सीमा की संदर्भ तिथि :–** 01.08.2022

(क) न्यूनतम उम्र सीमा :– 25

(ख) अधिकतम उम्र सीमा :–स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–665(3), दिनांक–12.07.2022 के अनुसार निम्नवत होगा:–

क्र0 सं0	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा	दिव्यांगों के लिए
1.	अनारक्षित	45 वर्ष	55 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	47 वर्ष	57 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)	48 वर्ष	58 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)	50 वर्ष	60 वर्ष
5.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	45 वर्ष	55 वर्ष

नोट:– (a) **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–29, दिनांक–04.01.2021 के अनुसार भूतपूर्व सैनिको (Ex-servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्रसीमा में 05 वर्षों की छूट मिलेगी।**

(b) **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प ज्ञापांक–360 दिनांक–21.01.2003 के आलोक में वैसे स्थायी सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो को पूर्व निर्धारित उम्र सीमा में 05 वर्षों की अतिरिक्त छूट देय होगी।**

7. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

विशेषज्ञ चिकित्सक के चयन की प्रक्रिया के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को उनकी शैक्षणिक योग्यता साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा एवं कार्यानुभव के लिए निम्नवत अंक प्रदान करते हुए मेधा सूची तैयार किया जायेगा।

(i) एम0बी0बी0एस0 में प्राप्तांक के लिए – 60 अंक

(ii) स्नातकोत्तर से उच्चतर डिग्री, यथा–डी0एम0/एम0सी0एच0 एवं समकक्ष डिग्री (राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त हो) के लिए – 15 अंक

(iii) सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर स्नातकोत्तर डिग्री धारक द्वारा नियुक्ति के उपरांत प्राप्त कार्यानुभव एवं संतोषजनक सेवा के लिए अधिकतम 5 अंक प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता (किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जायेगा) – 25 अंक

(iv) साक्षात्कार/अन्तर्वीक्षा – **15 अंक**

कुल – 115 अंक

नोटः–एम0बी0बी0एस0 के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया है तो उन्हें 50x0.6=30 अंक प्रदान किये जायेंगे।

न्यूनतम अर्हतांकः–कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या–3928, दिनांक–11.08.2020 का अनुपालन किया जायेगा।

नोटः–(i) विदेश से प्राप्त सभी डिग्रीधारकों के एम0बी0बी0एस प्राप्तांक की गणना 50 प्रतिशत पर की जानी है, बशर्ते कि उसका निबंधन राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त हो।

(ii) यदि विदेशी विश्वविद्यालयों से साढ़े 4 वर्षों का एम0बी0बी0एस0 कोर्स एवं एक वर्ष की रोटेटिंग इन्टर्नशिप की गयी है और यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त हो तो उनकी डिग्री को मान्यता दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त एम0बी0बी0एस0 की डिग्री एवं रोटेटिंग इन्टर्नशिप के पश्चात यदि तीन वर्ष का एम0डी0/एम0एस0/दो वर्षों का डिप्लोमा कोर्स किया गया है और यदि वह विदेशी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC) से मान्यता प्राप्त हो तो उनकी डिग्री को मान्यता दी जायेगी तथा वैसे अभ्यर्थी विशेषज्ञ चिकित्सक के पद के लिए शैक्षणिक रूप से योग्य माने जायेंगे।

(iii) किसी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में संविदा/नियमित रूप से कार्यरत चिकित्सक/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर/जूनियर रेजिडेंट को कार्य अनुभव के लिए अंक दिया जायेगा।

(iv) कार्य अनुभव प्रमाण–पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. आरक्षण का लाभ :– आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को ही देय होगा।

(क) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

(ख) **आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र संबंधी निर्देश** :–

i. आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–4650, दिनांक–02.06.2016 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

ii. आवेदन समर्पित करने के अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी/जाति/आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

iii. शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत स्थानीाय निवासी/जाति/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(ग) जाति प्रमाण पत्र आवेदक/आवेदिका के पिता की जाति के आधार पर निर्गत होना चाहिए।

(घ) अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाईन आवेदन में किये गये प्रविष्टि के अनुरूप आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ङ) **जाति प्रमाण–पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् हैः–**

(a) **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातिः**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1361, दिनांक–03.03.2022 एवं पत्रांक–1754, दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–IV में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दण्डाधिकारी/अपर जिला दण्डाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त /अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी/ अनुमंडल दण्डाधिकारी/ कार्यपालक दण्डाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी/ अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र के आधार पर देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोटः– केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(b) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** :–झारखण्ड राज्य के **अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II** कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र–XI (क्रीमीलेयर रहित) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। किन्तु जाति प्रमाण पत्र (क्रीमीलेयर रहित) की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–1754, दिनांक–25.02.2019 के अधीन प्रपत्र–XV में गैर क्रीमीलेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

नोटः–

(i) केन्द्रीय सरकार के सेवाओं/पदों के लिए अनुमान्य (Central Format) जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) राज्य सरकार के सेवाओं /पदों के लिए अनुमान्य झारखण्ड सरकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के साथ यदि प्रमाण पत्र में Form- XI Required अंकित हो तो Form- XI (Non-Creamy Layer) से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

के साथ यदि प्रमाण पत्र में **Form- XI Required** अंकित हो तो **Form- XI (Non-Creamy Layer)** से संबंधित प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाय अन्यथा दावे के अनुरूप आरक्षण कोटि की अनुमान्यता नहीं दी जाएगी।

(c) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1433 दिनांक–15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular & Notices में उपलब्ध है।

(च) **निःशक्तता का लाभ :–**

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। एक बार नियत प्रविष्टि के पश्चात् निःशक्त श्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का दावा नहीं किया जा सकता है। ऑनलाईन आवेदन के अंतिम तिथि के पश्चात् आयोग कार्यालय में प्रेषित आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(ii) निःशक्तता के लाभ हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–5888, दिनांक 06.08.2018 प्रभावी होगा। निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249, दिनांक 03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा। निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

9. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–332, दिनांक 24.01.2022 के आलोक में खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण झारखण्ड राज्य के निवासियों के लिए ही अनुमान्य हैं। खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

10. (क) <u>कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः—</u>

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (i) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (ii) Impersonating, or
- (iii) Procuring impersonation by any person, or
- (iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (vii) Using unfair means during the test, or
- (viii) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (xi) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
  - (a) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
  - (b) to be debarred either permanently or for a specified period:-
  - (c) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) <u>कदाचार के लिए कार्यवाही</u> :—

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) <u>**पूर्व के कदाचार का प्रभावः—**</u>

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. <u>**परीक्षा शुल्कः—**</u>

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0—**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (iii) <u>**परीक्षा शुल्क में छूट**</u>— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0—**150/— (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

10. (क) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:–

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

(i) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(ii) Impersonating, or
(iii) Procuring impersonation by any person, or
(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(v) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(vii) Using unfair means during the test, or
(viii) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(x) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(xi) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(xii) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (a) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
    (b) to be debarred either permanently or for a specified period:-
    (c) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ख) कदाचार के लिए कार्यवाही :–

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गए अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(ग) पूर्व के कदाचार का प्रभाव:–

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क:–

(i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।
(ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
(iii) **परीक्षा शुल्क में छूट**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**
(iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
(v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

(m) **Online Application** में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी **Online Application** भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।

(n) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.–+919431301636 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(o) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है:– 1. +919431301636 2. +919431301419

(p) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.– 9431301419 पर संपर्क किया जा सकता है।

(q) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे अथवा तत्समय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत नहीं होने की स्थिति में आवेदक Applied for NOC संबंधी सूचना ऑनलाईन आवेदन में प्रतिष्टि करेंगे तथा समर्पित आवेदन की मूल प्रति Document Verification के समय में प्रस्तुत करेंगे।

(r) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(s) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(t) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति **कंडिका–12(u)** के अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित पठनीय प्रति आयोग कार्यालय के पते **"परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001"** पर निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। Hard Copy लिफाफे के उपर **"विज्ञापन संख्या–03/2023"** तथा **"पद का नाम– गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक"** मोटे **(Bold)** अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

(u) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :–

(i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,

(ii) एम०बी०बी०एस० डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सभी सेमेस्टर सहित),

(iii) स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा यथा–एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री यथा–एम0सी0एच0,डी0एम0 की डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र (उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण सहित),

(iv) चिकित्सकीय निबंधन प्रमाण पत्र,

(v) सरकारी अथवा निजी अस्पतालों में नियमित/अनुबंध के आधार पर प्राप्त कार्यानुभव प्रमाण पत्र,

(vi) जाति /स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु),

(vii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहां लागू हो),

(viii) निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

13. <u>अंतिम तिथि</u> :–

(क) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक–31.03.2023 से दिनांक–02.05.2023 अपराह्न** 11:45 **बजे** तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।

(ख) **दिनांक–02.05.2023 के बाद दिनांक–04.05.2023 अपराह्न 11:45 बजे** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(ग) ऑनलाइन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति एवं वांछित प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति **(कंडिका–12(u) के अनुसार)** निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट एवं हाथों–हाथ आयोग कार्यालय में **दिनांक–19.05.2023 अपराह्न 05:00 बजे तक** तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।